R.M.M. Law College.
Amrendra Kumar Trivedi
Part. Time. Teacher
Subject Evid

स्वामित्व के सम्बन्ध में

साधारणतया कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में है तो वही उसका मालिक या स्वामी माना जायेगा जबकि वह उस जमीन का मालिकाना हक का दस्तावेज प्रस्तुत करे। और प्रश्नगत सम्पत्ति पर अपना हक साबित करता है। जो वैधिक कब्जा अभिप्रेत है।

कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया सबूत माना जाता है क्योंकि वह स्वामित्व के कार्यों का जोड़ होता है। कब्जे से दो प्रकार का लाभ है, एक तो वह स्वामित्व का सबूत होता है, दूसरे वह कब्जे को कायम रखने का आधार होता है। जो व्यक्ति कब्जे में होता है उसको वही व्यक्ति बेकब्जा कर सकता है जो अपने में उससे अच्छा हक साबित कर सके।

②

या और्र उदाहरणार्थ के व्यक्तिगत अनुभव में अस्पताल में ज्यादीं देखा कारण उनके बताया कि "रात को हिमा वह घर से स्टेशन जा रहा था तो रास्ते में "ख" और "ग" मिलकर उसको लाठी से प्रहार किया था कोई आक्रमण से और उसका निष्पा पैसा लूट लिया लाठी के प्रहार से उनके साथ मृत्युकालिक परिस्थिति पैदा होगया लोगों ने उसे उस परिस्थिति में अस्पताल पहुँचाया जहाँ वह मर गया तो मृत्युकालिक कथन माना जायगा। अगर वह बच गया तो जीवित अवस्था में वह अपना बयान न्यायालय में देखता हो अथवा इस प्रकार से बयान का साक्ष्यिक महत्व होता है।

कभी कभी रात में चलने वाले एक से अधिक व्यक्ति आपस में झगड़ा करते लग जाते हैं उनमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जाँच के क्रम में सभी बिन्दु पर अन्वेषण के दौरान बात आयेगी।

क और ख के परिवार में पुराना वैर चलता रहा है उस पुराने रंजिश को चलते भी मृत्युकालिन हो सकता है। जो उपरोक्त तथ्य प्रस्तुत करने दौरान परीक्षण के दौरान सामने आते हैं जो न्यायालय और निर्णयों के दौरान देखता है।

अतः परिस्थिति होना जो साक्ष्य को प्रदर्शित करता है।

Scanned with CamScanner